न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 71/2020

अनवान

1. श्री अमृतलाल पुत्र मांगी लाल सुनार
2. श्री नवरतन पुत्र मांगी लाल सुनार
3. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगी लाल सुनार
4. श्री प्रहलाद पुत्र मांगी लाल सुनार
5. श्री राकेश पुत्र मांगी लाल सुनार
6. श्री शंकर पुत्र पुत्र मांगी लाल सुनार निवासीयान ग्राम औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवीलाल पुत्र छोगा सुनार नि. औज्याडा।
2. श्री लालुराम पुत्र पन्नालाल सुनार नि. औज्याडा।
3. श्रीमति गोदावरी पत्नि चान्दमल सोनी नि. सदर बाजार द्वारिकाधीश मन्दिर के पास हमीरगढ।
4. श्री कालु पिता भागा अहीर नि. औज्याडा।
5. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री किशना अहीर नि. औज्याडा।
6. श्री शंकर पुत्र स्व. श्री किशना अहीर नि. औज्याडा।
7. श्री कैलाश पुत्र श्री स्व. किशना अहीर नि. औज्याडा।
8. श्री सुनिल कुमार पुत्र नारायण लाल सुनार नि. औज्याडा।
9. श्रीमति भवानी पत्नि स्व0 श्री किशना अहीर नि. औज्याडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र औज्याडा तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 720 के आ.न. 579 रकबा 1.2519 है0, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र औज्याडा तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 720 के आ.न. 579 रकबा 1.2519 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ